पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 46 (स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 17.06.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष – 0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन० 2235602000008 मद् में कुल 7.50 (सात लाख पचास हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए सम्बन्धित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या–39) (यूनिट कोड–31 06 साहायक अनुदान वेतनादि के अलावा)

राशि (लाख रूप्ये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, मोकामा	00.00	7.50	7.50
03	आवंटन के रूम में जिला में सुरक्षित	0.00	0.00	0.00
	कुल उपावंटित राशि :–	00.00	7.50	7.50

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष – 200– अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष – 0008– **गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान** विपत्र कोड एन० 2235602000008 मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vuched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति/उपयोगिता प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में इस कार्यालय को शीघ्र भेज दिया जाय।
3. यह आवंटन अंचलाधिकारी, मोकामा को स्वीकृत अभिलेख सं0–03/13–14 चन्दन कुमार पिता–श्री मिश्री गोप एवं चार अन्य ग्राम– मेकरा, नया टोला, थाना– मोकामा, जिला– पटना को भुगतान करने हेतु उपावंटित किया जाता है।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी०)(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 779 /आ०प्र०, दिनांक 11/07/15

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, मोकामा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

10/7

जिला पदाधिकारी,
पटना।